



International Journal of Research in Academic World



Received: 10/December/2022

IJRAW: 2023; 2(1):31-33

Accepted: 12/January/2023

डॉ. भीम राव अम्बेडकर के आर्थिक चिन्तन का विश्लेषणात्मक अध्ययन

¹सरिता सिंह और ²अनिल कुमार नागर^{1,2}सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, एम. एस. जे. राज. महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान, भारत।

सारांश

आर्थिक विचारकों के मन में हमेशा आर्थिक विकास का प्रश्न होता है। उन्होंने समसामयिक परिस्थितियों से उबरने के लिए आर्थिक समस्याओं पर कुछ विचार और समाधान रखे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे विचार और समाधान आज पुराने हो चुके हैं। उन विचारों में वर्तमान अर्थव्यवस्था को सही दिशा में निर्देशित करने की क्षमता है। भारत के मामले में अनेक विशेषज्ञों ने सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र से संबंधित अपने बहुमूल्य विचार रखे हैं। हालांकि उनके विचार सिद्धांत के रूप में नहीं हैं लेकिन आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हम डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के आर्थिक विचारों पर गौर करते हैं तो हमने उन्हें बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक विचारकों में पाया है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को 'बाबासाहेब' के नाम से जाना जाता है। वह एक भारतीय विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, मानवविज्ञानी, इतिहासकार और अर्थशास्त्री थे। डॉ. अम्बेडकर भारत के संविधान के महान शिल्पकार थे। आर्थिक चिन्तन में डॉ. अम्बेडकर का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत में लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के संबंध में कुछ मुद्दों और विकल्पों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कृषि, केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध, औद्योगिकरण, मुद्रा, वित्त प्रणाली, बीमा, शिक्षा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवाद, आर्थिक असमानता, गरीबी एवं बेरोजगारी आदि पर अपने आर्थिक विचार व्यक्त किए हैं। उनके आर्थिक विचार आज भी प्रासंगिक हैं। प्रस्तुत पत्र उनके कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक विचारों को उजागर करने का एक प्रयास है।

मुख्य शब्द: मिश्रित अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, समाजवाद, आर्थिक असमानता

प्रस्तावना

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर 20 वीं शताब्दी में भारत के सबसे उत्कृष्ट बुद्धिजीवियों में से थे। डॉ. बी. आर.अम्बेडकर को 'बाबासाहेब' के नाम से जाना जाता है। वह एक भारतीय विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, मानवविज्ञानी, इतिहासकार और अर्थशास्त्री थे। डॉ. अम्बेडकर भारत के संविधान के महान शिल्पकार थे। आर्थिक चिन्तन में डॉ. अम्बेडकर का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। डॉ. अम्बेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले पहले भारतीय थे।^[1] उन्होंने तर्क दिया कि औद्योगिकीकरण और कृषि विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सकती है।^[2] उन्होंने भारत में प्राथमिक उद्योग के रूप में कृषि में निवेश पर बल दिया। शरद पवार के अनुसार, अम्बेडकर के दर्शन ने सरकार को अपने खाद्य सुरक्षा लक्ष्य हासिल करने में मदद की।^[3] अम्बेडकर ने राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास की वकालत की, शिक्षा, सार्वजनिक स्वच्छता, समुदाय स्वास्थ्य, आवासीय सुविधाओं को बुनियादी सुविधाओं के रूप में जोर दिया।^[2]

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के प्रमुख अर्थशास्त्र प्रकाशन हैं "द प्रॉब्लम ऑफ रूपी" (पी एस किंग एंड सन लिमिटेड, लंदन 1923), और "द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया" (पी एस किंग एंड सन) लिमिटेड, लंदन 1925। एक महत्वपूर्ण अकादमिक पेपर है जिसे उन्होंने 1918 में लिखा था, 'स्मॉल होल्डिंग्स इन

इंडिया एंड देयर रेमेडीज' जर्नल ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी, खंड 1, 1918।

इन अकादमिक आर्थिक लेखों के अलावा, उनके ज्ञापन और विभिन्न सरकारी आयोगों को दिए गए साक्ष्य, विभिन्न विधायी निकायों में भाषण, और पुस्तक समीक्षाएं हैं जिनमें सभी में कुछ आर्थिक सामग्री है। डॉक्टर अम्बेडकर के आर्थिक विचारों का अध्ययन हम कृषि, उद्योग, श्रम, मुद्रा वित्तीय स्थिति बिंदुओं के अंतर्गत विभाजित करके कर सकते हैं।

कृषि व्यवस्था

डॉ. अम्बेडकर कृषि को महत्व देते हैं क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था इसी क्षेत्र पर आधारित है। अम्बेडकर के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का मूलभूत कारण भूमि व्यवस्था में परिवर्तन में देरी है।^[7] उनका विचार था कि कृषि और अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के बिना ग्रामीण समाज का विकास असंभव है। उन्होंने मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी का समर्थन किया। उन्होंने भारतीय कृषि का राष्ट्रीयकरण सामूहिक खेती के साथ अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने भारतीय कृषि समस्याओं के समाधान के लिए कृषि पर निर्भर भूमिहीन मजदूरों पर जोर दिया। उन्होंने खेत के आकार को कभी महत्व नहीं दिया। उनके अनुसार पूंजी और अन्य संसाधन, छोटे आकार के खेत की तुलना

में भारतीय कृषि क्षेत्र की मुख्य समस्याएँ हैं। मशीनीकरण की मदद से कृषि के आधुनिकीकरण पर भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आधुनिकीकरण से उत्पादन बढ़ेगा और इस क्षेत्र का विकास होगा। वे सामूहिक खेती में विश्वास करते थे। उनके अनुसार खेत के आवंटन का आधार जाति नहीं होनी चाहिए और सरकार को खेती और पानी की आपूर्ति के उपकरण उपलब्ध कराने चाहिए। सरकार को कृषि आय पर कर नहीं लगाना चाहिए और खेती से होने वाली आय को बिना किसी जाति के भेदभाव के किसानों के बीच वितरित किया जाना चाहिए।^[4] अंबेडकर ने कृषि सुधार को औद्योगिकीकरण के साथ जोड़ा ताकि ग्रामीण व शहरी प्रगति में एक प्रकार का संपर्क बना रहे। वास्तव में उन्होंने कृषि उद्योग दोनों को एक दूसरे का पूरक क्षेत्र माना है यही कारण है कि जो बात अंबेडकर ने 1918 में कहीं उसे ही हमारे विशेषज्ञों ने 1950 के पश्चात स्वीकार कर यह महसूस किया कि भारत की आर्थिक प्रगति के लिए ना केवल कृषि सुधार बल्कि साथ ही समूचे भारत में औद्योगिकीकरण की भी परम आवश्यकता है।

श्रम

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के अनुसार समाज में भेदभाव विशेष रूप से शोषण पर आधारित था और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि प्रत्येक श्रम को मनुष्य के रूप में माना जाना चाहिए, उन्होंने सभी के लिए समानता और स्वतंत्रता का परिचय देने की आवश्यकता का सुझाव दिया। 1937 में उन्होंने लेबर पार्टी की स्थापना की। लेबर पार्टी की मान्यता थी कि किसान की जमीन के निरंतर टुकड़े होना और उन पर जनसंख्या का दबाव होना किसानों की गरीबी का मुख्य कारण है, इसका समाधान यह है कि पुराने लघु उद्योगों को बहाल किया जाए और नए उद्योग शुरू किए जाए। लोगों की योग्यता और उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें तकनीकी शिक्षा दी जाए। इसके लिए सरकार की ओर से उद्योग चलाने और प्रबंध करने का सुझाव दिया गया। कारखाने के कामगारों के रोजगार तथा कल्याण के लिए बेहतर कानून बनवाना भी पार्टी का एक लक्ष्य था। काम के घंटे तय करना, प्रमोशन के अवसर देना, वेतन, छुट्टियाँ, आवास की उपयुक्त सुविधा आदि के लिए प्रभावी कानून बनवाने के लिए सरकार को बाध्य करना दल के अन्य लक्ष्य थे।^[5] अंबेडकर के अनुसार जो सुविधाएँ औद्योगिक श्रमिकों को दी जाती हैं वहीं सुविधाएँ कृषि श्रमिकों की जानी चाहिए क्योंकि कृषि श्रम भी इससे अलग नहीं है। उनके अनुसार कार्य की दशाएँ प्रावधान, निधि, नियुक्ति के दायित्व, कार्य की क्षति पूर्ति, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन आदि के लाभ सभी प्रकार के श्रम को प्राप्त होने चाहिए चाहे वह औद्योगिक श्रमिक हो या कृषि श्रमिक।^[6]

औद्योगिकीकरण

अंबेडकर सभी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं थे। वे केवल महत्वपूर्ण उद्योगों का ही स्वामित्व और कार्यप्रणाली राज्य के अधीन करने के पक्ष में थे। वह यह भी सुझाव देते थे कि जो उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग नहीं हैं परंतु जो मूल उद्योग हैं उन्हें या तो राज्य चलाएँ या राज्य द्वारा स्थापित निगम संचालित करें।^[7] डॉक्टर अंबेडकर ने निजी क्षेत्र का कभी भी विरोध नहीं किया। उनका यह निश्चित मत था कि मूलभूत उद्योगों के अतिरिक्त उत्पादन के क्षेत्र निजी उद्यमियों के स्वामित्व में होने चाहिए परंतु साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निजी उद्यमियों को समाज के वृहत् हितों को ध्यान में रखना होगा। सरकार को स्वयं निश्चित करना होगा कि कौन से उद्योग राज्य के द्वारा चलाए जाएँ या निजी क्षेत्र के द्वारा या निजी क्षेत्र तथा राज्य दोनों के नियंत्रण में हो।

वित्त का विकेन्द्रीकरण

अंबेडकर ने अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया। उनका विचार था कि राज्य को अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करना चाहिए ताकि उत्पादन इष्टतम स्तर तक पहुंच सके और पूंजीपति द्वारा

लाभ नहीं लिया जाना चाहिए। लाभ समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। वह पूंजीवादी व्यवस्था के कारण होने वाली स्पष्ट सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करते हुए समाज के प्रगतिशील परिवर्तन के लिए खड़े थे। अंबेडकर समाजवाद के दृढ़ विश्वासी थे। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और जीवन बीमा पर उनके विचार ने भारत के सामने आने वाली आर्थिक समस्याओं के प्रति उनकी बड़ी चिंता को दर्शाया। सार्वजनिक क्षेत्र के गठन और जीवन बीमा निगम की स्थापना से पता चला कि वह अन्य प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ सहमत थे। उन्होंने टिप्पणी की कि भारत का औद्योगिकीकरण एक आवश्यक चीज थी। लेकिन साथ-साथ राज्य प्रबंधन और उद्योग के राज्य स्वामित्व के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए। सामाजिक बीमा और रोजगार पर नियंत्रण, बर्खास्तगी जैसी सुविधाएँ उद्योग की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण थीं। इन उपायों के बारे में निम्न मध्यम वर्ग की रक्षा की जानी चाहिए। उनका दृढ़ विश्वास था कि शोषण को समाप्त करके, श्रम कल्याण और अनुकूल औद्योगिक संबंध के माध्यम से औद्योगिक सद्भाव स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने टिप्पणी की “हमने राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता प्राप्त की है लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानता के बिना यह काफी अपर्याप्त है।” अंबेडकर ने आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता और समानता पर अधिक जोर दिया। समाज और समाजवाद की उनकी अवधारणा का उद्देश्य गरीब वर्गों के कल्याण के लिए आधारित असमानता को समाप्त करना था। जन्म पर सामाजिक व्यवहार पैटर्न में भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करना, सभी के लाभ के लिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करना, पूर्ण रोजगार और शिक्षा बनाए रखना, कमजोर और बीमारों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।^[8]

मुद्रा के संबंध में विचार

डॉ. अंबेडकर के विचार वर्तमान भारतीय नकदी ढांचे को बहुत प्रभावित करते हैं। ब्रिटिश मानक के तहत जब भारत सरकार भारतीय रुपये के गिरते अनुमान से जूझ रहे थे, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने 1923 में ‘रुपये का मुद्दा, इसकी जन्मस्थली और व्यवस्था’ की रचना की। उन्होंने ब्रिटिश भारत के दौरान भारतीय धन की स्थिति पर अपनी जांच और शोध को केंद्रित किया। उन्होंने इस पर शोध प्रस्ताव तैयार किया। अपने सिद्धांत में, उन्होंने तर्क दिया कि सोने के व्यापार मानक में स्थिरता नहीं है। भारत जैसे निर्माण करने वाले देश सोने के व्यापार मानकों की लागत का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं, इससे अधिक यह मूल्य वृद्धि के खतरे को भी बढ़ाता है। उन्होंने अंतर्दृष्टि की जानकारी और कारणों के साथ प्रदर्शित किया कि कैसे भारतीय रुपये ने अपना मूल्य खो दिया है और इस प्रकार रुपये की खरीद तीव्रता गिर रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारी कमी को दूर किया जाना चाहिए और पैसे का एक वृत्ताकार प्रवाह होना चाहिए। उन्होंने यह भी प्रस्तावित किया कि रूपांतरण पैमाने पर निर्भरता की तुलना में मूल्य टोसता पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए यह पुस्तक अनिवार्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक की नींव को प्रेरित करती है।^[9]

समान कार्य के लिए समान वेतन

डॉ. अंबेडकर प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने वायसराय आधिकारिक सभा में श्रम मंत्री के रूप में औद्योगिक विशेषज्ञों के रूप में भारत में “समान कार्य के लिए समान वेतन” कानून लाया। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करते समय, डॉ. अंबेडकर ने अनुच्छेद 39 (डी) को समाहित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता निभाई, जो राज्य को समकक्ष के लिए समान वेतन की पुष्टि करने के लिए एक निर्णय लेने के लिए संबंधित है।^[10] उनके द्वारा इंगित किया गया है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति और निष्पक्षता के निर्माण के बिना वित्तीय सुधार में समर्थन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जो भी हो, भारत में महिलाओं की भयानक आर्थिक स्थिति के

कारण भारत की आर्थिक उन्नति बाधित है। इस प्रकार, महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उन्हें समान अधिकार और व्यवसाय का अवसर देना महत्वपूर्ण है।

गरीबी एवं बेरोजगारी

डॉ. अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया कि भूमि के टुकड़े-टुकड़े होना और उन पर जनसंख्या के दबाव के कारण ही कृषक गरीब है। इसका समाधान यह है कि पुराने उद्योगों को बहाल किया जाय और नये उद्योग चालू किये जायें। उन्हें तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाय। स्पष्ट है कि अम्बेडकर गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र में सामूहिक कृषि को अपनाते तथा उद्योग क्षेत्र में नये उद्योग लगाने एवं पुराने उद्योगों को बहाल करना मुख्य उपचार मानते थे। उन्होंने बताया कि किसानों और मजदूरों को बिना किसी जाति पांति के भेद के एक मजदूर संगठन कायम करना चाहिए और विधानसभाओं में योग्य वक्ता चुनकर भेजना चाहिए। जो उनका प्रतिनिधित्व कर सके। आर्थिक असमानता के बारे में उन्होंने लिखा है कि जब तक समाज में आर्थिक समानता के साथ सामाजिक समानता स्थापित नहीं हो जाती देश का सम्पूर्ण विकास नहीं हो सकता।

अन्य विचार

बी आर अम्बेडकर ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों की चर्चा करते हुए 1949 में हमारे संविधान के निर्माण के दौरान कहा था कि सरकारों को जनता से प्राप्त संसाधनों को न केवल नियमों, कानूनों और विनियमों के अनुसार खर्च करना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि "वफादारी, ज्ञान और अर्थव्यवस्था" सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा व्यय के कृत्यों में चला गया है। इसलिए सरकार के लिए मूल इरादों के प्रति वफादार होना और भी आवश्यक हो जाता है।^[11]

डॉ अम्बेडकर ने दामोदर महानदी बेसिन पर बहुआयामी परियोजना को भी अंजाम दिया। जलग्रहण क्षेत्र को विकसित करने के लिए बिजली को उत्पादन करने के लिए, बाढ़ को पूर्ण विराम देने के लिए, सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति, जलमार्ग के रूप में और उन सभी उद्देश्यों के लिए औद्योगिक उपयोग के लिए परियोजनाओं को पूरा किया। उन्होंने बिजली उत्पादन को भी दिशा दी। बिजली की निरंतर और समृद्ध उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने नई जल नीति, जलमार्ग, जल निकासी व्यवस्था आदि मुद्दों पर भी अपने विचार व्यक्त किये।

निष्कर्ष

विभिन्न आर्थिक विषयों पर, जिनसे अम्बेडकर का संबंध था, उनके निष्कर्षों का मूल्य काफी सटीक है क्योंकि उनका विश्लेषण अनुभवजन्य और ऐतिहासिक नींव पर आधारित था। उनके अनुसार प्रमुख उद्योग राज्य के स्वामित्व में संचालित होंगे। बुनियादी लेकिन गैर-महत्वपूर्ण उद्योग राज्य के स्वामित्व में होंगे और राज्य या उसके द्वारा स्थापित निगमों द्वारा संचालित होंगे। कृषि एक राज्य उद्योग होगा, और सामूहिक कृषि को प्राथमिकता दी जायेगी। उन्होंने औद्योगीकरण की आवश्यकता पर भी जोर दिया ताकि अधिशेष श्रम को कृषि से अन्य उत्पादक में स्थानांतरित किया जा सके।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि डॉ अम्बेडकर के आर्थिक दर्शन सिद्धांत महत्वपूर्ण होने के साथ व्यवहार में भी लागू किये गये। उनका दर्शन मानवतावादी था जो सीधा मनुष्य के कल्याण से जुड़ा हुआ था। उनके महत्वपूर्ण विचारों का स्वतंत्रता, समानता, प्रजातंत्र, समाजवाद आदि में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

संदर्भ सूची

1. IEA. "Dr. B.R. Ambedkar's Economic and Social Thoughts and Their Contemporary Relevance". IEA Newsletter-The Indian Economic Association (IEA) (PDF). India: IEA publications, 2013, 10.
2. Mishra, edited by S.N. (2010). Socio-economic and political vision of Dr. B.R. Ambedkar. New Delhi: Concept Publishing Company, 2018, 173-174. ISBN 818069674X
3. "Ambedkar had a vision for food self-sufficiency". The Times of India, 2013.
4. Hiralal Vaman Chavan, "The Economic Thought of Dr. Babasaheb Ambedkar" (article 22) *The Indian Economic Journal*, 2013, 155
5. डॉ एम.एल. परिहार, बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन 14 अप्रैल 2017, पृ सं. 181
6. WN Kuber, "B.R. Ambedkar" Page no. 130
7. अंबेडकर, "स्टेट एंड माइनोंरिटीज", 1947, पृष्ठ 15
8. डॉ एम.एल. छीपा, शंकर लाल शर्मा, जे.के. सिद्ध, "भारतीय आर्थिक चिंतन", पृष्ठ 205-207
9. Nageswari R, "Economic vision of Dr. B.R. Ambedkar, Shanlax. *International Journal of Economics*, 2019, researchget.net
10. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के आर्थिक विचार: एक सिंहावलोकन, article 8, Om Prakash Ram, Satya Ratna Singh and Shiv Shankar. *The Indian Economic Journal*, 2013, 61-63
11. MR Singariya "Dr. BR Ambedkar: As an Economist". *International Journal of Humanities and Social Science Invention*. 2013; 2(3):24-27. academia.edu